भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

राज्य सभा

लिखित प्रश्न सं. 959

मंगलवार, 27 जुलाई, 2021/05 श्रावण, 1943 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

पर्यटन क्षेत्र को कोविड-19 के कारण हुआ नुकसान

959 श्री प्रताप सिंह बाजवा:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कोविड-19 संकट के कारण पर्यटन क्षेत्र को हुए वित्तीय नुकसान पर कोई शोध कराया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2019-20 और वर्ष 2020-21 से लेकर अब तक कितने विदेशी पर्यटक भारत की यात्रा पर आए हैं;

(ग) वर्ष 2019-20 और वर्ष 2020-21 से लेकर अब तक भारत के भीतर यात्रा करने वाले घरेलू पर्यटकों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार ने पर्यटन क्षेत्र में कार्यरत लोगों को कोई प्रोत्साहन या सहायता प्रदान की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ड.) पर्यटन क्षेत्र में वर्ष 2018-19 से अब तक राज्य-वार कुल कितने लोग कार्यरत हैं?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क): पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने "भारत और कोरोना वायरस महामारी: पर्यटन में लगे परिवारों के लिए आर्थिक नुकसान और पुनर्वास हेतु नीतियों" पर अध्ययन कराया है। अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं:

- 2020-21 के दौरान समग्र आर्थिक मंदी के कारण, पर्यटन अर्थव्यवस्था या पर्यटन प्रत्यक्ष सकल मूल्य वर्धित (टीडीजीवीए) में पहली तिमाही में 42.8 प्रतिशत, दूसरी तिमाही में 15.5 प्रतिशत और तीसरी तिमाही में 1.1 प्रतिशत की गिरावट देखी गई है।
- महामारी के दौरान, पर्यटकों के आगमन में महत्वपूर्ण गिरावट और इसलिए पर्यटन व्यय, यह अनुमान लगाया गया है कि टीडीजीवीए 2020-21 की पहली तिमाही में पिछले वर्ष की समान तिमाही में अपने स्तर की तुलना में 93.3 प्रतिशत तक गिर गया है। यह दूसरी तिमाही में 79.5 प्रतिशत और तीसरी तिमाही में 64.3 प्रतिशत की गिरावट दर्ज करने बाद थोड़ा ऊपर उठा है।
- लॉकडाउन लागू होने के बाद पर्यटन क्षेत्र में बड़ी संख्या में नौकरियां चली गईं। पहली तिमाही के दौरान 14.5 मिलियन, दूसरी तिमाही के दौरान 5.2 मिलियन और तीसरी तिमाही के दौरान 1.8 मिलियन नौकरियां छूटने का अनुमान है, जबकि महामारी की

अवधि से पहले 2019-20 में अनुमानित 34.8 मिलियन (प्रत्यक्ष रोजगार) नौकरियां थीं।

(ख): पर्यटन मंत्रालय कैलेंडर वर्ष के आधार पर विदेशी पर्यटकों के आगमन (एफटीए) पर डेटा संकलित करता है। आप्रवासन ब्यूरो से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 2019, 2020 और जून, 2021 तक विदेशी पर्यटकों के आगमन की संख्या नीचे दी गई है:

वर्ष	**विदेशी पर्यटकों का आगमन (मिलियन में)**
2019	10.93
2020	2.74
जून तक 2021 @	0.42

@ अनंतिम स्रोत: आप्रवासन ब्यूरो

(ग): पर्यटन मंत्रालय कैलेंडर वर्ष के आधार पर घरेलू पर्यटकों की यात्राओं पर डेटा संकलित करता है। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, कैलेंडर वर्ष 2019, 2020 के दौरान घरेलू पर्यटकों की संख्या नीचे दी गई है:

वर्ष	**घरेलू पर्यटक यात्राएं (मिलियन में)**
2019	2321.98
2020	610.21

स्रोत: राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन

(घ): वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने हाल ही में 11,000 से अधिक पंजीकृत पर्यटक गाइड/यात्रा और पर्यटन हितधारकों के लिए नई ऋण गारंटी की घोषणा की है, ताकि वे अपनी देनदारियों का निर्वहन कर सकें और कोविड -19 के कारण प्रभावित व्यवसाय को फिर से शुरू कर सकें। यह ऋण निम्नलिखित सीमा तक 100% गारंटी के साथ प्रदान किया जाएगा:

i. टीटीएस के लिए 10,00,000 रुपए (प्रति एजेंसी)
ii. क्षेत्रीय या राज्य स्तर पर लाइसेंस प्राप्त पर्यटक गाइडों के लिए 1,00,000 रुपए

(ड़): पर्यटन मंत्रालय ने संदर्भ वर्ष 2015-16 के लिए भारत के तीसरे टीएसए के साथ सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का क्षेत्रीय पर्यटन उपग्रह खाता (टीएसए) तैयार कर लिया है। इसके बाद, चौथा टीएसए 2020-21 आयोजित किया जाना था। तथापि, कोविड -19 महामारी के कारण इसे शुरू नहीं किया गया था। वर्ष 2015-16 के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए क्षेत्रीय टीएसए के अनुसार पर्यटन क्षेत्र में नियोजित लोगों की कुल संख्या **अनुबंध** में है।

****

अनुबंध

पर्यटन क्षेत्र को कोविड-19 के कारण हुआ नुकसान के संबंध में राज्य सभा दिनांक 27.07.2021 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 959 के भाग (ड़) के उत्तर में **विवरण।**

वर्ष 2015-16 के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए क्षेत्रीय टीएसए के अनुसार पर्यटन क्षेत्र में कार्यरत लोगों की कुल संख्या नीचे दी गई है:

क्र. सं.	**राज्य**	**राज्य में रोजगार (लाख संख्या में)**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2.24
2	आंध्र प्रदेश	319.81
3	अरुणाचल प्रदेश	9.97
4	असम	147.72
5	बिहार	468.51
6	चंडीगढ़	3.3
7	छत्तीसगढ़	162.96
8	दादरा & नगर हवेली	1.37
9	दमन और दीव	1.24
10	दिल्ली	53.33
11	गोवा	6.47
12	गुजरात	273.3
13	हरियाणा	103.17
14	हिमाचल प्रदेश	30.73
15	जम्मू और कश्मीर	41.91
16	झारखंड	218.21
17	कर्नाटक	321.77
18	केरल	145.15
19	लक्षद्वीप	0.16
20	मध्य प्रदेश	300.65
21	महाराष्ट्र	528.87
22	मणिपुर	16.4
23	मेघालय	16.55
24	मिजोरम	6.69
25	नागालैंड	10.08
26	ओडिशा	226.52
27	पुडुचेरी	4.7
28	पंजाब	111.04

29	राजस्थान	349.59
30	सिक्किम	4.39
31	तमिलनाडु	436.73
32	तेलंगाना	200.89
33	त्रिपुरा	29.6
34	उत्तर प्रदेश	781.69
35	उत्तराखंड	48.03
36	पश्चिम बंगाल	454.55

****